न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 19/476

1. श्रीमती भूली बाई पत्नी स्व0 श्री रामनारायण जाति खाती निवासी गामछ तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
2. राजेश बाई पुत्री रामनारायण जाति खाती निवासी ग्राम गामछ तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
3. मधु बाई पुत्री रामनारायण जाति खाती निवासी ग्राम गामछ तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
4. मधुसूदन आत्मज रामनारायण जाति खाती निवासी ग्राम गामछ तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
5. हरिकिशन आत्मज रामनारायण जाति खाती निवासी ग्राम गामछ तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. संरक्षक अस्थल कबीर पंथी श्रीपुरा कोटा जरिये कबीरपंथी अस्थल (मठ) सेवा ट्रस्ट श्रीपुरा कोटा कबीर पार्क संस्थान 13 विनोबा भावे नगर कोटा सद्गुरू जी प्रभाकर साहेब गुरू सदगुरू श्री चेतन देवजी ।
2. लक्ष्मी नारायण पुत्र भंवर लाल जाति ब्राह्मण निवासी गामछ तहसील तालेडा जिला बून्दी तकमीली पक्षकार ।

——रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री कृष्ण दत्त दाधीच, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री ललित नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 06.03.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.09.2019 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम गामछ तहीसल तालेडा में नये बन्दोबस्ती खसरा नम्बर 9/1 रकबा 06 बीघा 12 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 9/2 रकबा 06 बीघा कुल 02 किता की 12 बीघा 12 बिस्वा भूमि को नामान्तरकरण संख्या 239 के अनुसार अस्थल को खातेदार दर्ज किया गया था । राजस्व रिकॉर्ड में वादी वादग्रस्त आराजी के खातेदार दर्ज हैं । उक्त भूमि पर वादीगण द्वारा दिनांक 18.05.1983 को पटवारी हल्का की मौजूदगी में कब्जा प्राप्त कर लिया था । कब्जा दिये जाने का आदेश सीलिंग मुकदमे के निर्णय दिनांक 11.05.1982 की पालना में दिया गया था । प्रतिवादीगण करीब 20 दिन से उक्त भूमि पर अतिक्रमी के रूप में काबिज हो गये हैं ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी के बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण को संभलाया जावे ।

4. प्रतिवादीगण ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.09.2019 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किये ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.09.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादी ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने एकतरफा कार्यवाही करते हुए अपीलान्ट के पूर्वज श्री रामनारायण जी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना निर्णय पारित किया गया है । अपीलान्ट के पूर्वज श्री रामनारायण जी का देहान्त दिनांक 30.12.2012 को हो गया था इसलिए दिनांक 30.12.2012 के बाद की गई सम्पूर्ण कार्यवाही मृतक के विरूद्ध की गई है जिसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है । वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के पूर्वज श्री रामनारायण जी को सन् 1976 में आवंटित हो गयी थी तभी वे अपने जीवनपर्यन्त उक्त भूमि पर काबिज काश्त रहे । अधीनस्थ न्यायालय ने मृत व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.09.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि नवम्बर, 2019 में अप्रार्थी संख्या 01 कब्जा करने के लिए आये तो प्रार्थीगण के द्वारा आपत्ति की गई उस समय अप्रार्थी संख्या 01 व उनके साथ आने वाले व्यक्तियों ने बताया कि न्यायालय ने इस भूमि के बाबत् निर्णय पारित किया हुआ है जिस पर प्रार्थीगण की ओर से इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिए अभिभाषक नियुक्त किया तथा उक्त निर्णय की नकल हेतु दिनांक 02.12.2019 को आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 03.12.2019 को नकल प्राप्त हुई । उसके पश्चात् यह अपील पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट के पूर्वज रामनारायण एवं लक्ष्मीनारायण के विरूद्ध एक दावा अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पैश किया था और यह दावा दिनांक 17.01.2004 को इस आधार पर खारिज किया गया कि कायममुकामान की कार्यवाही नहीं की गई है । दावा चालू रखने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था । अवेटमेंट को निरस्त करने के लिए कोई आवेदन पत्र पेश नहीं किया गया था । अपीलान्ट के पूर्वज रामनारायण को आवेदन के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई । इसके उपरान्त दिनांक 06.11.2011 को दावा नम्बर पर लिया गया जिसके बाबत् भी कोई सूचना रामनारायण को नहीं दी गई । एक तरफा कार्यवाही करते हुए दावा दिनांक 04.09.2019 को डिक्री किया गया । रामनारायण की मृत्यु दिनांक 30.12.2012 को हो चुकी है । मृत व्यक्ति के खिलाफ निर्णय पारित किया गया है जो प्रारम्भ से ही शून्य है । वादग्रस्त आराजी पर रामनारायण की मृत्यु के बाद अपीलान्ट काबिज काश्त चले आ रहे हैं । अपीलान्ट के पूर्वज रामनारायण को सन् 1976 में आराजी आवंटित की गई थी । अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी पर काबिज हैं । अपीलान्ट ने मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.09.2019 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2017 (2) पेज 1047 उद्धरत की ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि धारा 183 का दावा रेस्पोडेन्ट के द्वारा पेश किया गया था । यह दावा सन् 2004 में खारिज किया गया जिसे रेस्टोर करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया गया । रेस्टोरेशन के प्रार्थना पत्र में अपीलान्ट के अभिभाषक उपस्थित हुए हैं उनकी बहस को सुना गया है और दिनांक 06.04.2011 को 200/– रूपये हर्जे पर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दावे को पुनः नम्बर पर लिया गया है । इसके उपरान्त प्रतिवादीगण के उपस्थित नहीं आने पर उनके खिलाफ दिनांक 01.04.2016 को एक तरफा कार्यवाही की गई । आदेश 22 नियम 4 (4) के अनुसार – कि यदि प्रतिवादी सुनवाई के लिए उपसंजात नहीं होता है कि तो उनके कायममुकामान को रिकॉर्ड पर लिया जाना अनिवार्य नहीं है । दावे में दो प्रतिवादी थे जिनमें से एक प्रतिवादी की मृत्यु हुई थी और उनकी मृत्यु की सूचना न्यायालय को समय पर नहीं दी गई । वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट खातेदार कृषक हैं और न्यायालय के आदेश की अनुपालना में उन्हें कब्जा संभलाया जा चुका है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे ।

11. अपीलान्ट ने रिबटल में कथन किया कि मौके पर कब्जा अपीलान्ट का है, मौके पर रेस्पोडेन्ट को कब्जा नहीं दिया गया है ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

13. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध विभाग प्रदर्श– 8 संलग्न है, नकल जमाबन्दी संवत् 2001–05 संलग्न है जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 44 व 14 अन्य खसरा नम्बरान के साथ गोविन्द दास वल्द मंगलदास कौम बाबाजी कबीर पंथी के खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी सवंत् 2012–15 के अनुसार लक्ष्मीनारायण वल्द रतन लाल के खाते में कुल 11 किता की 155 बीघा 03 बिस्वा आराजी दर्ज है जिसमें खसरा नम्बर 14 की 11 बीघा 08 बिस्वा शामिल है । प्रतिलिपि पुनः आवंटन सूची खसरा नम्बर 09 व 47 भी पत्रावली पर संलग्न है । नकल जमाबन्दी खसरा नम्बर 392 प्रदर्श– 1 संलग्न है, आवंटन आदेश, दखलनामा, प्रपत्र संख्या 6 प्रदर्श–2, पंजीयन आवेदन की प्रमाणित प्रति प्रदर्श– 3, प्रपत्र –7 प्रदर्श – 4, सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रदर्श– 5, कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग का प्रमाण पत्र प्रदर्श–6, जिला कलक्टर का निर्णय दिनांक 11.05.82 प्रदर्श– 7, फोटो प्रति मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–8, नकल जमाबन्दी संवत् 2071–74 प्रदर्श–9 संलग्न है जिसके अनुसार कुल 03 किता की 11 बीघा 15 बिस्वा भूमि संरक्षक अस्थल कबीर पंथी श्रीपुरा कोटा के नाम दर्ज है । नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति प्रदर्श– 10, खसरा गिरदावरी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श– 11 संलग्न है, तहसीलदार के पत्र दिनांक 23.03.2009 पर भी प्रदर्श– 11 अंकित है ।

14. वादी द्वारा बयान प्रभाकर दास पीडब्ल्यू– 1 कराये गये हैं ।

15. अधीनस्थ न्यायालय में वादी के द्वारा रामनारायण एवं लक्ष्मीनारायण के खिलाफ धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा पेश किया गया था जो अपीलाधीन निर्णय से डिक्री किया गया है । अपील रामनारायण के वारिसान के द्वारा पेश की गई है । लक्ष्मीनारायण जी के द्वारा अपील पेश नहीं की गई है । लक्ष्मीनारायण जी के खिलाफ धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पारित निर्णय अंतिम हो चुका है । तद्नुसार अपीलान्टगण के खिलाफ भी यह रेसजूडीकेटा का असर रखेगा । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 06.04.2011 को उभय पक्षकारान की उपस्थिति में दावा वादी पुनः नम्बर पर लेने के आदेश पारित किये हैं और दिनांक 06.04.2011 को दावा वादी पुनः नम्बर पर लेने के उपरान्त दिनांक 28.10.2015 को तनकीयात कायम की गई है । दिनांक 26.12.2016 की आदेशिका के अनुसार साक्ष्य वादी में पेश किये गये शपथ पत्र की नकल प्रतिवादी को दिलायी गई है और दिनांक 01.04.2016 की आदेशिका के अनुसार प्रतिवादी के उपस्थित नहीं आने पर उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही गई है । प्रतिवादी कम 01 रामनारायण जी के द्वारा रेस्टोरेशन के प्रार्थना पत्र में दिनांक 15.03.2010 को जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है ।

16. इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दावे को दिनांक 06.04.2011 को उभयपक्षीय बहस सुनने के उपरान्त नम्बर पर लिया गया है और दिनांक 01.04.2016 को प्रतिवादी एवं उनके अभिभाषक के उपस्थित नहीं आने पर उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई । अपीलान्ट के द्वारा अपील में यह कथन किया गया है कि रामनारायण जी की सन् 2012 में मृत्यु हो गई थी परन्तु उसके उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय में इसकी कोई जानकारी नहीं दी गयी और एक तरफा कार्यवाही को निरस्त करने के लिए भी अधीनस्थ न्यायालय में सन् 2019 तक कोई प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया गया । वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक रेस्पोडेन्ट हैं । सीपीसी के आदेश 22 नियम 04 (4) के अनुसार प्रतिवादी जो जवाब देने के उपरान्त सुनवाई के समय उपसंजात होने और प्रतिवाद करने में असफल रहता है तो न्यायालय उसके विधिक प्रतिनिधि को प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता में छूट दे सकेगा

और ऐसे मामले में निर्णय उक्त प्रतिवादी के विरूद्ध उस प्रतिवादी की मृत्यु हो जाने पर भी सुनाया जा सकेगा और उसका वही बल एवं प्रभाव रहेगा मानो उसकी मृत्यु से पूर्व सुनाया गया हो । इन तथ्यों के आधार पर विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा उद्धरत नजीर यहाँ चस्पा नहीं होती हैं । वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक रेस्पोडेन्ट हैं । पैरा संख्या 15 व 16 में किये गये विवेचन के अनुसार मात्र एक प्रतिवादी के वारिसों द्वारा अपील पेश करने व आदेश 22 नियम 4 (4) के मध्यनजर हम अधीनस्थ द्वारा पारित निर्णय में हम किसी प्रकार हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

17. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.09.2019 बहाल रखा जाता है ।

18. निर्णय आज दिनांक 06.03.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

6/3/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

तील संख्या : 19/476

1. श्रीमती भूली बाई पत्नी स्व0 श्री रामनारायण जाति खाती निवासी गामछ तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
2. राजेश बाई पुत्री रामनारायण जाति खाती निवासी ग्राम गामछ तहसील तालेडा जिला बून्दी
3. मधु बाई पुत्री रामनारायण जाति खाती निवासी ग्राम गामछ तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
4. मधुसूदन आत्मज रामनारायण जाति खाती निवासी ग्राम गामछ तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
5. हरिकिशन आत्मज रामनारायण जाति खाती निवासी ग्राम गामछ तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. संरक्षक अस्थल कबीर पंथी श्रीपुरा कोटा जरिये कबीरपंथी अस्थल (मठ) सेवा ट्रस्ट श्रीपुरा कोटा कबीर पार्क संस्थान 13 विनोबा भावे नगर कोटा सद्गुरू जी प्रभाकर साहेब गुरू सदगुरू श्री चेतन देवजी ।
2. लक्ष्मी नारायण पुत्र भंवर लाल जाति ब्राह्मण निवासी गामछ तहसील तालेडा जिला बून्दी तकमीली पक्षकार ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय दिनांक एवं डिक्री दिनांक 04.09.2019 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 89/दावा/2011

संरक्षक अस्थल कबीर पंथी श्रीपुरा कोटा जरिये कबीरपंथी अस्थल (मठ) सेवा ट्रस्ट श्रीपुरा कोटा कबीर पार्क संस्थान 13 विनोबा भावे नगर कोटा सद्गुरू जी प्रभाकर साहेब गुरू सदगुरू श्री चेतन देवजी ।

——वादी

बनाम

1. रामनारायण पुत्र श्री मोडू जाति खाती निवासी गामछ तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री भंवर लाल जाति ब्राह्मण निवासी गामछ तहसील तालेडा जिला बून्दी।

---प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक एवं डिकी दिनांक 04.09.2019 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात... कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 06.03.2020 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री कृष्ण दत्त दाधीच अपीलान्ट की ओर से एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री ललित नागर के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 04.09.2019 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिकी आज तारीख 06.03.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

6/3/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा